

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क०नि०-2-1404/ग्यारह-09(109)/17-३०प्र०अधि०-1-2017-आदेश (46)-2017 दिनांक 26-09-17 से ३०प्र० माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 123 के उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य स्तरीय मुनाफारोधी छानबीन समिति का गठन किया गया है इस समिति में निम्न सदस्य होते हैं-

- (क) आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, राज्य सरकार का एक अधिकारी, और
(ख) मुख्य आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, केंद्रीय सरकार का एक अधिकारी ।

उपरोक्त के क्रम में ३०प्र० मुनाफाखोरी रोधी छानबीन समिति में क्रमांक (क) पर अंकित सदस्य के रूप में पूर्व में नामित सुश्री यशु रूस्तगी, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर का स्थानान्तरण हो जाने के कारण श्रीमती सुधा वर्मा, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, ३०प्र० को नामित किया जाता है।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
३०प्र० लखनऊ

पृ०प०सं० 631(L) दिनांक- उक्त।

प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर ३०प्र० की सेवा में सूचनार्थ ।
- 2- चीफ कमिश्नर (जी०एस०टी०) तथा सेन्ट्रल एक्साइज लखनऊ जोन, लखनऊ को सूचनार्थ ।
- 3- श्रीमती सुधा वर्मा, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर कर ३०प्र० को सूचनार्थ ।
- 4- ज्वाइंट कमिश्नर (आई०टी०) वाणिज्य कर, मुख्यालय को वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ ।

ज्वाइंट कमिश्नर (जी०एस०टी०)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ